

**समाहरणालय, मधेपुरा**  
(आपदा प्रबंधन शाखा)

**-: आदेश :-**

संयुक्त सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार पटना के पत्रांक-168(स0अनु0)/आ0प्र0, दिनांक-10.03.2017 के द्वारा वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016-17 में गैर योजना मुख्य बजट शीर्ष-2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत, उपमुख्य शीर्ष-02-बाढ़ चक्रवात आदि, लघुशीर्ष-112-जनसंख्या का निष्क्रमण, उपशीर्ष-0002-जनसंख्या का निष्क्रमण, विपत्र कोड-N2245021120002 मद में कुल मो0-75,00,000/- (पचहत्तर लाख) रुपये मात्र का आवंटन प्राप्त हुआ है। प्राप्त आवंटन को निम्नांकित शर्तों के अधीन निम्नवत् उपावृत्त किया जाता है :-

क्र0 सं0	उपावृत्त प्राप्त करने वाले पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम	पूर्व में उपावृत्त की गई राशि	वर्तमान में उपावृत्त की राशि	कुल उपावृत्ति राशि
1	2	3	4	5
01	जिला नजारात उप समाहर्ता, मधेपुरा	3283232	0	3283232
02	अंचल अधिकारी, मधेपुरा	200000	6000	206000
03	अंचल अधिकारी, शिहेश्वर	16768	56000	72768
04	अंचल अधिकारी, शंकरपुर	0	18000	18000
05	अंचल अधिकारी, गम्हरिया	0	16000	16000
06	अंचल अधिकारी, पैलाड़	0	90000	90000
07	अंचल अधिकारी, मुरलीगंज	0	6000	6000
08	अंचल अधिकारी, कुमारखंड	0	308000	308000
09	अंचल अधिकारी, ग्वालपाड़ा	450000	0	450000
10	अंचल अधिकारी, उवाकिशुनगंज	407869	0	407869
11	अंचल अधिकारी, बिहारीगंज	585786	0	585786
12	अंचल अधिकारी, पुरेनी	410179	0	410179
13	अंचल अधिकारी, चौसा	1006166	3000000	4006166
14	अंचल अधिकारी, आलमनगर	3700000	4000000	7700000
	<b>कुल-</b>	<b>10060000</b>	<b>7500000</b>	<b>17560000</b>

(मो0-पचहत्तर लाख रुपये)

**उपावृत्त की शर्तें :-**

- इस राशि का व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016-17 में गैर योजना मुख्य बजट शीर्ष-2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत, उपमुख्य शीर्ष-02-बाढ़ चक्रवात आदि, लघुशीर्ष-112-जनसंख्या का निष्क्रमण, उपशीर्ष-0002-जनसंख्या का निष्क्रमण, विपत्र कोड-N2245021120002 मांग संख्या-39 युनिट कोड 31 06 सहायक अनुदान वेतनादि के अलावा मद में उपबंधित राशि से विकलांगीय होगा।
- उपावृत्त राशि का व्यय विभागीय मानदर के आलोक में उसी मद में किया जाय, जिस मद के लिए राशि का उपावृत्त किया गया है। किसी भी अन्य मद में इस राशि का विचलन नहीं किया जाय, अन्यथा इसके लिए निकासी एवं व्यय पदाधिकारी ही जिम्मेदार होंगे।

- (3) आवंटित की गई सहायक अनुदान की राशि की निकासी BTC Form-42 में की जाय। निकासी की गई राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र BTC Form-42A में महालेखाकार कार्यालय, बिहार, पटना को निर्धारित समय सीमा में भेजते हुए उसकी प्रति, वय्य प्रतिवेदन एवं भारत सरकार के विहित प्रपत्र में उपयोगिता प्रमाण-पत्र आपदा प्रबंधन शाखा, मधेपुरा को शीघ्रताशीघ्र एवं अचूक रूप से दिनांक-25.03.2017 तक शीघ्र भेज दिया जाय।
- (4) आवंटित राशि की निकासी से संबंधित विपत्र पर मुख्य बजट शीर्ष /उपमुख्य शीर्ष -लघु शीर्ष /उपशीर्ष तथा विपत्र कोड का उल्लेख स्पष्ट रूप से की जाय। विपत्र पर सही शीर्ष /उपशीर्ष का सुहर लगाया जाए, अन्यथा आंकड़ों के त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण की सारी जिम्मेवारी निकासी एवं वय्यन पदाधिकारी की होगी।
- (5) उपरोक्त उपावंटन वित्त विभागीय ज्ञापांक-2561 वि० (2) दिनांक-17.04.1998 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है। राशि की निकासी एवं वय्य में वित्त विभाग के निदेशों का अक्षरशः पालन किया जाए।
- (6) पूर्व आवंटित राशि, जिसकी निकासी अग्रिम तौर पर की गई है, यदि पूर्णतः वय्य नहीं हो सके, तो 25.03.2017 तक उसे कोषागार में जमा करा दिया जाय।
- (7) यदि उपरोक्त उपावंटित राशि का वय्य इस वित्तीय वर्ष में नहीं हो सके, तो अवशेष राशि का प्रत्यार्पण दिनांक-25.03.2017 तक निश्चित रूप से कर दिया जाय, अन्यथा इसके लिए निकासी एवं वय्यन पदाधिकारी ही जिम्मेवार होंगे। राशि की निकासी कर बैंक खाते में नहीं रखी जाय।

इसकी सूचना संबंधितों को दी जाय।

ह०/  
जिलाधिकारी,  
मधेपुरा।

ज्ञापांक : 124 / आ०प्र०, मधेपुरा, दिनांक : 18 / 03 / 2017

प्रतिलिपि :- सभी अंचल अधिकारी, मधेपुरा जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, मधेपुरा/उदाकिशुनगंज को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- जिला नजारत उप-समाहर्ता, मधेपुरा को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- अनुमंडलाधिकारी, मधेपुरा/उदाकिशुनगंज को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- जिला सूचना पदाधिकारी, मधेपुरा को जिले के वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- संयुक्त सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा/ प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।

  
जिलाधिकारी,  
मधेपुरा।